

एम० पी० वाद संख्या - 98/21 / धारा - 107 द० प्र० स०.

अभिलेख उपस्थापित ।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया ।  
अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद की कार्यवाही प्रारंभ  
हुए छह माह से अधिक हो चुका है एवं वाद की कार्यवाही  
कालबाधित हो चुका है ।

अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

*Ashwini*  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
धनबाद ।